तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **ख्यालीराम बनाम उमराव** **अपील संख्या 65/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00122)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.21	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा भू आवंटन सलाहकार समिति खेतड़ी के आवंटन आदेश दिनांक 10.01.1979 के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है जबकि उक्त भू आवंटन सलाहकार समिति के आदेश आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील की सुनवाई के अधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नही है। ऐसी स्थिति अपीलान्ट की हस्तगत अपील पर अग्रिम कार्यवाही न्यायालय हाजा के स्तर पर संभव नही है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही होने से खारिज की जाती है। अपीलान्ट उक्त आवंटन सलाहकार समिति के अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। (दिनेश कुमार यादव) संभागीय आयुक्त जयपुर। संभागीय आयुक्त जयपुर	